क्रमांक : छस्वावितवि / प्रशा. / 2012 / 1700 भिलाई, दिनांक : 25-7-12

प्रति,

डायरेक्टर / प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक / फार्मेसी / एम.बी.ए. / एम.सी.ए. महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय : रैगिंग रोकने के संबंध में।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 3239 / मा.अ.आ. / 2012 दिनांक 19.07.2012।

*****

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनसे सम्बद्ध छात्रावासों में कतिपय रैगिंग की गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त होती रही है।

रैगिंग रोकने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रैगिंग प्रतिशेध अधिनियम 2001 लागू किया गया है। रैगिंग रोकने के संबंध में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

कृपया आपके महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं में एवं अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों में दिशा निर्देशों को परिचालित कर रैगिंग प्रतिशेध के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर इस आशय के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना विश्वविद्यालय को एवं विधि अधिकारी, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

संलग्न : 1. छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि।
2. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैगिंग रोकने हेतु जारी दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि।

प्रतिलिपि :

1. छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, मंत्रालय के पास, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सहायक मा. कुलपति।
3. मास्टर फाइल।

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग

मंत्रालय के पास, रायपुर

क्रमांक 3239 /मा.अ.आ./2012 रायपुर, दिनांक 19.7.12

प्रति,

कुलपति,
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
नार्थ पार्क एवेन्यु , सेक्टर–8 भिलाई,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

विषयः– **रैगिंग रोकने के संबंध में।**

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनसे सम्बद्ध छात्रावासों में कतिपय रैगिंग की गतिविधियों की शिकायते प्राप्त होती रही है।

रैगिंग की गतिविधियों को शैक्षणिक संस्थाओं से पूर्णतया समाप्त किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग कृत संकल्पित है। रैगिंग रोकने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागू किया गया है। रैगिंग रोकने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

कृपया अपने अधीनस्थ संचालित समस्त महाविद्यालयों में पत्र की प्रतिलिपि परिचालित कर रैगिंग प्रतिषेध के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर आयोग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(माननीय सदस्य/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

19/7/12

विधि अधिकारी
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,
मंत्रालय के पास, रायपुर

क्रमांक...../ मा.अ.आ. / 2012 रायपुर, दिनांक

प्रति,

कुलपति
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय
नार्थ पार्क ऐवेन्यु, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छग)

विषयः— रैगिंग रोकने के संबंध में।

—00—

राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2012—13 प्रारम्भ हो रहा है, शैक्षणिक सत्रों के प्रारम्भिक दिनों में वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कनिष्ठ छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार **"रैगिंग"** के नाम से किये जाने की शिकायते प्राप्त होती रही हैं, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के श्रेणी में आते है। रैगिंग को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दण्डनीय अपराध बताकर **रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001** पारित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी विश्व जागृति मिशन विरूद्व केन्द्र सरकार (AIR 2001 SC 2814) के प्रकरण में रैगिंग को रोके जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा निर्देशों का शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना एवं अध्यनरत् छात्र—छात्राओं से पालन करवाया जाना आवश्यक है।

रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2001 में रैगिंग को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तिव का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी की दोष पूर्ण अवरोध, दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कृत्य होंगे।

रैगिंग एक गंभीर समस्या है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थाओं में **" रैगिंग प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम"** के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान है।

निरतंर...

शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र–छात्राओं के बीच रैगिंग जैसे कार्यो को बढ़ावा न मिले एवं जूनियर छात्र छात्राओं में रैगिंग का भय व्याप्त न हो, इसके लिये शैक्षणिक संस्था में **"रैगिंग रोकथाम समिति"** का गठन किया जाये तथा रैगिंग के संबंध में यदि प्रकरण पाये जाते हैं, तो त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करते हुये आयोग को सूचित किया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्व जागृति मिशन विरूद्व केन्द्र शासन के प्रकरण में रैगिंग रोकने हेतु मार्गदर्शी दिशा निर्देशों की प्रति पालनार्थ संलग्न है। उक्त दिशा निर्देशों का पालन कर, पालन प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(माननीय सदस्य/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

14/7/12

विधि अधिकारी
छ.ग. राज्य मानव अधिकार आयोग,
रायपुर

Following guidelines have been laid down by Hon'ble Supreme Court to fight menace of ragging in Educational Institutions.

1. The prospectus, the form for admission and/or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and any one indulging in ragging is likely to be punished appropriately.

2. If there be any legislation governing ragging or any, provisions in the Statute/Ordinances they should be brought to the notice of the students/patents seeking admissions.

3. Form for admission/enrolment shall have a printed undertaking to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishments to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from students already admitted and their parents.

4. A printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of new entrants in the institution, alongwith the addressee and telephone numbers of such persons, should be given to freshers at the time of admissions so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to or obliged by them.

5. The management, the principal, the teaching staff should interact with freshers and take them in confidence by apprising them of their rights as well as obligation to fight against ragging and generate confidence in their mind.

6. Institution to constitute a proctorial committee to keep a continuous watch and vigil over ragging and promptly deal with the incidents of ragging.

7. All vulnerable location shall be identified and specially watched.

8. Failure to prevent ragging shall be construed as an act of negligence on part of management, hostels wardens / superintendents.

9. The hostels/accommodations where freshers are accommodated shall be carefully guarded, and entry of seniors/outsiders to be regulated.

10. If individuals committing or abetting ragging are not identified collective punishment could be resorted to.

11. Migration certificate to contain entry indicating whether the student had participated in and in particular was punished for ragging.

12. Stoppage of financial assistance by UGC/funding agency to institutions falling to curb ragging.

13. Institution to face disaffiliation.

14. Institutions / Universities to hold activities where seniors and freshers can interact and develop friendly relationship.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001*

[दिनांक 17 जनवरी, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001** है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना;

(ख) ~~''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय~~ शैक्षणिक संस्था।

3. रैगिंग का प्रतिषेध— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड— यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

---

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-1-2002 पृष्ठ 28-28 (1) पर प्रकाशित।

6. अपराधों का विचारण—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता— (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।